

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS.

पत्रावली संख्या : 163/23 ( विविध प्रार्थना पत्र )

जीसीएमएस नम्बर : 2023/487

1. श्रीमती लीला पत्नी मांगीलाल जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी हनुमान मंदिर के पास, कानपुर तहसील गिर्वा जिला-उदयपुर (राजस्थान)।

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री श्री कुकाराम पिता हेमा जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
2. श्री खेमराज पिता हेमा जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती प्रताबीबाई पत्नी नंदा जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
4. श्री प्रभुलाल पिता नंदा जी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी-आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती बेनीबाई पुत्री नंदा जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी-आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
6. श्री बालुराम पिता नंदा जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
7. श्री भगवानलाल पिता नंदा जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
8. श्री राजेन्द्र पुत्र मांगीबाई जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०) नि. लीला
9. श्री पेमा पिता डालु जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
10. श्री भेरा पिता डालु जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
11. श्री भोलीराम पिता गेबा जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
12. श्री मांगीलाल पिता तुलसीराम जी जाति डांगी उम्र-वयस्क निवासी-आमली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
13. सरंपंच, ग्राम पंचायत आमली तहसील भावली जिला-उदयपुर (राज०)
14. श्री पटवारी पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
15. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।



## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

### निर्णय

दिनांक : 30.07.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1760 रकबा 0.5342 हैक्टर भूमि मुझ प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज है तथा आराजी नम्बर 1761 रकबा 0.4613 हैक्टर भूमि मुझ प्रार्थीया के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के पड़ोस में विपक्षी संख्या 3 से 13 की भूमि है। विपक्षीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 की खातेदारी भूमियों की चाराओं दिशाओ का स्थायी सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगड़ी कराई जावे तथा विपक्षीगण को इस बात के लिये पाबंद किया जावें की वे मुझ प्रार्थीया के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें एवं शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने दें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी 14, 15 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि आराजी नम्बर 1760 रकबा 0.5342 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी हक की भूमि है तथा आराजी नम्बर 1761 रकबा 0.4613 हैक्टर भूमि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 3 से 13 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रकरणग्रस्त भूमि के चारों दिशाओ का सिमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 31 पर दर्ज आराजी नम्बर 1760 रकबा 0.5342 हैक्टर भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है, उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 3 से 13 का कोई हक हिस्सा निहित नही है तथा खाता

संख्या 545 पर दर्ज आराजी नम्बर 1761 रकबा 0.4613 हैक्टर भूमि का प्रार्थीया खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीया के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजीयात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 से 13 द्वारा भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित होकर कोई एतराज नहीं किया गया जिससे जाहीर होता है कि विपक्षी संख्या 1 से 13 को प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 31 पर दर्ज आराजी नम्बर 1760 रकबा 0.5342 हैक्टर तथा खाता संख्या 545 पर दर्ज आराजी नम्बर 1761 रकबा 0.4613 हैक्टर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

( मनसुख राम डामोर ) R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी मावली  
जिला उदयपुर